SL-84

संख्या: 2611 / ।।। (2) / 07–75(सामान्य) / 2000

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2007

विषयः– लोक निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निविदा प्रणाली में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के निर्बाध सम्पादन हेतु, विभाग द्वारा आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं में पारदर्शिता के साथ प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दरें प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता एवं निर्धारित विशिष्टियों / मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण तथा निविदा प्रणाली विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–128 / 2002 दिनांक 13 मई, 2002, शासनादेश सं0–235 / 2002 दिनांक 11 जून,2002, शासनादेश सं0–477 / लो0नि0–1 / 02–75(सा.)2002 दिनांक 31 जुलाई, 2002 एवं शासनादेश सं0–2504 / लो0नि0–1 / 02–75(सा.) 2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 में सिविल कार्यों से सम्बन्धित प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरणः–

ठेकेदारों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर नियमानुसार पंजीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी:–

(अ) श्रेणी–ए– ठेकेदार किसी भी सीमा तक कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(ब) श्रेणी–बी– ठेकेदार 100.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(स) श्रेणी–सी– ठेकदार 40.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(द) श्रेणी–डी– ठेकेदार 25.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

2. निविदा सूचना का प्रकाशनः–

रूपये 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) से अधिक स्वीकृत लागत के कार्यों की निविदायें नेशनल कम्पीटेटीव बिडिंग (National Competitive Bidding) के अन्तर्गत टू बिड सिस्टम (Two Bid System) के आधार पर व्यापक प्रसार वाले विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों (न्यूनतम एक राष्ट्रीय एवं एक प्रादेशिक) में, वृहद् प्रचार एवं प्रसार हेतु, सूचना निदेशक के माध्यम से दो बार प्रकाशित करायी जाय।

3. निविदाओं का विक्रयः–

निविदा सूचना में यथाइंगित कार्य से संबंधित खण्ड, संबंधित खण्ड का निकटस्थ कोई एक खण्ड, संबंधित खण्ड का वृत्तीय कार्यालय एवं निकटस्थ जनपद के किसी एक खण्ड से मूल्य देकर निविदायें कय की जा सकती हैं।

4. प्राप्त निविदाओं का खोला जानाः–

4.1 निविदाओं के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय पर सील टेण्डर बॉक्सों को विशेष वाहक के माध्यम से उसी दिन निविदाओं को खोलने हेतु निर्धारित कार्यालय (खण्डीय / वृत्तीय) के अधिशासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

4.2 निविदा खोलने के लिए कार्यालय का निर्धारण एवं अधिकारियों की समिति का गठन निम्नवत् होगाः–

(क) अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिकतां की सीमा तक (अर्थात रू0 40 लाख की सीमा तक) की निविदाओं हेतु निविदायें संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु गठित निम्न समिति द्वारा खोली जायेंगीः–

(i) संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता– अध्यक्ष/संयोजक

(ii) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित वृत्त के किसी अन्य खण्ड का अधिशासी अभियन्ता–सदस्य

(iii) अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित संबंधित खण्ड के सहायक अभियन्ता–सदस्य।

(ख) उच्च निविदायें अर्थात अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिकता की सीमा (रु0 40 लाख से अधिक) से अधिक की निविदाओं हेतु निविदायें संबंधित अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु सक्षम समिति द्वारा खोली जायेंगीः–

(i) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष

(ii) संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य/संयोजक

(iii) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित संबंधित वृत्त के किसी अन्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य

5. निविदा स्वीकृति हेतु समिति के सदस्यों का निर्धारणः–

क्र. स.	अधिकार के प्रकार	जिसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाऐं	टेण्डर एडवाइजरी समितियॉं
1	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्टर (निविदा) स्वीकृत करना	1. मुख्य अभियन्ता स्तर–2लो.नि.वि.	पूर्ण अधिकार	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–2 अध्यक्ष 2. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता–सदस्य 3. संबंधित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
		2. अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.वि.	रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक	1. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष 2. संबंधित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित वृत्त का एक अन्य अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
		3.अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि.	रू0 40 लाख की सीमा तक	1. संबंधित अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष 2. संबंधित वृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा वृत्त का एक अन्य नामित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. संबंधित सहायक अभियन्ता–सदस्य

6. टर्न ओवर हेतु मानदंडः–

निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्षो के दौरान किसी एक वर्ष में प्राप्त भुगतान की राशि के बराबर धनराशि/लागत के कार्य हेतु निविदा दी जा सकेगी।

7. कार्यानुभव हेतु मानदंडः–

निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में, दी जा रही निविदा की राशि के 50 प्रतिशत तक के कार्य को पूर्ण करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

8. निविदा दाता हेतु मशीनों एवं उपकरणों का मानदंडः–

निविदा दाता द्वारा स्वयं की अथवा लीज/किराये आदि पर भी मशीनों एवं उपकरणों की व्यवस्था की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

9. तकनीकी स्टाफ हेतु मानदंड:–

(i) रू0 25 लाख की सीमा तक के कार्य– किसी तकनीकी स्टाफ/अभियन्ता की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) रू0 25 लाख से रू0 100 लाख की सीमा तक के कार्य– एक डिप्लोमा धारक तकनीकी अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।

(iii) रू0 100 लाख से 500 लाख की सीमा तक के कार्य– एक डिग्री धारक अभियन्ता एवं 1 डिप्लोमा धारक अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।

(iv) रू0 500 लाख से अधिक कार्य– एक डिग्री धारक अभियन्ता एवं दो डिप्लोमा धारक अभियन्ताओं का होना आवश्यक होगा।

10 धरोहर राशि :–

समस्त अनुबन्ध बैंक गारन्टी के आधार पर गठित किये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार संशोधित प्राविधानों के फलस्वरूप पूर्व निर्गत शासनादेश सं0–128/2002 दिनांक 13 मई, 2002, शासनादेश सं0–235/2002 दिनांक 11 जून, 2002, शासनादेश सं0–477/लो0नि0–1/02–75(सा.) 2002 दिनांक 31 जुलाई, 2002 एवं शासनादेश सं0–2504/लो0नि0–1/02–75(सा.) 2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उनमें निहित अन्य प्राविधान उक्त संशोधनों के आलोक में प्रासंगिकता अनुसार यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या : (1)/ III–(2)/07,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
6. आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
13. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner